Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 13-12-2005

Participants : Kumar Shri Shailendra

>

Title : Need to enact law providing for reservation in Private Sector.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, there are about 40 notices with me on Special Mentions. I am also one among them. But I would not get a chance to speak. I will call each one of you provided you be brief and we can give an opportunity to all the hon. Members who have given notices.

Shri Shailendra Kumar, be brief so that other hon. Members also get an opportunity to speak.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, आपने मुझे स्पैशल मैंशन में अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। इस सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने समय-समय पर निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कही है। मैं आज पुरजोर तरीके से बल देते हुए सरकार से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण कानून बने और आरक्षण कानून को बहाल किया जाए, तभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को फायदा मिल पाएगा। शताब्दियों की पीड़ा के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 1932 में महात्मा गांधी और डा. भीमराव अम्बेडकर के पूना पैक्ट के तहत कुछ अधिकार मिले है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 58 वर्ों बाद भी जो 15 प्रतिशत आरक्षित रिक्त पद हैं, उन्हें हम भर नहीं पाए हैं। 1 जनवरी, 1998 तक ग्रुप ए में 10.38 प्रतिशत स्थान भरे गए, ग्रुप बी में 11.73 प्रतिशत स्थान भरे गए, जबकि हमें 15 प्रतिशत रिक्त पदों को भरना है।...(व्यवधान) यूपीए सरकार ने अनुसूचित जाति के सांसदों से वायदा किया था कि सन् 2005 में 80 प्रतिशत जो रिक्त अनुसूचित जाति के पद हैं, उन्हें भरने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वे पद नहीं भरे गए हैं।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि अमरीका के डायवर्सिटी नियम के अनुसार अनुसूचित जाति की भागीदारी, चाहे उच्च न्यायालय हो, न्यायपालिका या शासन, प्रशासन में तय हो, जो भी सरकार आई, हमेशा अनुसूचित जाति के बारे में रोती रही है, वह पूरा हो पाएगा। मैं मांग करता हूं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण कानून बने, तभी हम सबकी मनोभावना को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।